बंधुआ मजदूर के संबंध में अनुमण्डल स्तरीय निगरानी समिति

बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन अधिनियम, 1976, अधिनियम 19/76) की धारा–13 को उप धारा (3) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेशों का अवक्रमण करते हुए बिहार राज्यपाल राज्य के सभी अनुमण्डलों के लिए अनुमंडल स्तरीय निगरानी समितियाँ निम्नलिखित रूप में गठित करते हैं:–

1- अनुमंडल मजिस्ट्रेट — अध्यक्ष

2- अनुमंडल में रहने वाले — सदस्य
अनुसूचित जाति और/या अनुसूचित
जनजाति के तीन व्यक्ति जिनका मनोनयन
अनुमंडल मजिस्ट्रेट करेगें

3- अनुमंडल में रहने वाले–2 सदस्य
सामाजिक कार्यकर्त्ता जिनका मनोनयन
अनुमंडल मजिस्ट्रेट करेगें

4- ग्रामीण विकास से सम्बद्ध अनुमंडल को सदस्य
सरकारी या गैर सरकारी ऐजेंसियों का प्रतिनिधित्व
करने वाले सदस्य जिनकी संख्या–3 से अधिक
होगी जिनका मनोनयन जिला मजिस्ट्रेट करेगें।

5- केन्द्रीय सहकारिता बैंक या ग्रामीण बैंक या सदस्य
वाणिज्यक बैंक का एक प्रतिनिधि जिसका
मनोनयन अनुमंडल मजिस्ट्रेट करेगें

6- अनुमंडल में भूमि सुधार के प्रभारी उप समाहर्त्ता सदस्य सचिव

2. निगरानी समिति अपने कार्य की प्रक्रिया स्वयं नियमित करेगें और आवश्यकतानुसार सहायता अनुमण्डल मजिस्ट्रेट सुलभ करायेंगे।

3. निगरानी समिति के कर्त्तव्य –

(क) उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों को ठीक से लागू करना सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों तथा की जाने वाली कार्रवाईयों के संबंध में अनुमण्डल मजिस्ट्रेट को परामर्श देना,

(ख) उक्त बंधक मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए उपबंध करना,

(ग) उक्त बंधक मजदूरों को पर्याप्त उधार की सुविधा का संयोजन करने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार ग्रामीण बैंक, सहकारिता बैंकों और वाणिज्यक बैंकों के कार्यों का समन्वय करना,

(घ) इस अधिनियम के अधीन अपराधों के संबंध में दायर होने वाले तथा निपटाये गये मामलों को संख्या पर नजर रखना,

(ड़) इस अधिनियम के अधीन ऐसा कोई अपराध हुआ है या नहीं जिसका संज्ञान दिया जाना चाहिए, इसका सर्वेक्षण करना,

(च) मुक्त बंधक मजदूर या उसके परिवार के किसी सदस्य या उसके ऊपर निर्भर किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध किसी बंधक ऋण या उस व्यक्ति द्वारा बंधक ऋण के रूप में दावा किए जाने वाले किसी अन्य ऋण को सम्पूर्ण या आंशिक वसूली के लिए दायर किए गये किसी मुकदते का बचाव करना।

निगरानी समिति के कर्त्तव्यों के सम्पादन के लिए उसकी बैठकें उतनी बार होगी, जितनी आवश्यक हो, किन्तु कम से कम दो माह में एक बार अवश्य होगी।

(अधिसूचना स0–13/बी0एल–3049/88) दिनांक–07.04.1998)